राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 26.03.2020

औषधि नियंत्रक,
औषधि नियंत्रण संगठन,
राजस्थान, जयपुर।

**विषयः– आवश्यक दवाओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सबंध में।**

महोदय,

विश्व स्वास्थ्य सगंठन तथा सयुंक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु व्यापक लोक हित में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.2020 द्वारा औषधि नियंत्रण संगठन को विभिन्न आवश्यक दवाओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दवाओं के साथ ही मास्क एवं सेनेटाईजर्स की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में लेख है कि सम्पूर्ण भारत में लॉक डाउन होने के कारण विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं के साथ ही मास्क एवं सेनेटाईजर्स की कृत्रिम कमी बतायी जा सकती है। **अतः आप जीवन रक्षक दवाओं के साथ ही मास्क एवं सेनेटाईजर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दवाओं/मास्क/सेनेटाईजर्स के निर्माताओं द्वारा आवश्यक उत्पादन किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही अन्य राज्य के औषधि नियंत्रकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं/मास्क/सेनेटाईजर्स का मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करावें।**

इसके अतिरिक्त बाजार में दवाओं/मास्क/सेनेटाईजर्स की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने हेतु सभी सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों को पाबन्द करें। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करें तथा राज्य सरकार के निर्देशों की पालना नही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अभिशंषा भिजवायें।

भवदीय
(संजय कुमार) 26.3.2020
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार को प्रेषित कर लेख है कि जिन राज्य में दवा/मास्क/सेनेटाईजर्स के निर्माता स्थित हैं उन राज्य के औषधि नियंत्रकों को निर्देश प्रदान करावें कि वे सम्बन्धित राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देशो एवं नियमों का पालन करते हुए दवा/मास्क/सेनेटाईजर्स का मांग के अनुरूप उत्पादन करते हुएकोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने में सहयोग प्रदान करें।

5. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है उनके स्तर से कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में की जानी वाली कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रतिदिन औषधि नियंत्रक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. राजस्थान केमिस्ट एसोशिएशन एवं समस्त जिलों के केमिस्ट एसोशिएशन को प्रेषित कर लेख है किवे अपने स्तर से सभी केमिस्ट को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदान दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सहयोग प्रदान करें।
7. निजी /रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव